इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

(कार्यादेश)

प्रेषक,

अधिशाषी अभियन्ता
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मेसर्स एन0सी0सी0 लिमिटेड
एन0सी0सी0 हाउस मादापुर
हैदराबाद।

पत्रांकः– 11 /अधि0अभि0/वि0प्रा0/2016 दिनांकः–27/12/2016,

विषयः–अवन्तिका नैनी इलाहाबाद में समाजवादी योजना के अन्तर्गत यमुना विहार में निम्न/मध्यम आय वर्ग के 1200 फ्लैटों के निर्माण एवं विकास कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु आप द्वारा दिनांक 12.12.2016 को निविदा में दी गयी दरों तथा यूनिट प्लान के आधार पर दिनांक 26.12.16 को किये गये अन्तिम निगोशिएशन के उपरान्त निम्न दरें दी गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0	ग्रुप–ए				ग्रुप–बी			
	मद	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	दर	धनांक (रू0 लाख में)	मद	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	दर	धनांक (रू0 लाख में)
1	**Super Built up Area**	42162.74	26140.00	11021.34	**Super Built up Area**	48185.98	26140.00	12595.81
2	**Stilt Area**	4277.00	13667.00	584.54	**Stilt Area**	4758.00	13667.00	650.27
3	**Basement**	7444.00	27900.00	2076.88	**Basement**	5420.00	27900.00	1512.18
कुल योग–**A**				13682.76	कुल योग–**B**			14758.26
		अथवा		136.83 करोड़		अथवा		**147.58** करोड़
कुल योग **A+B= 284.41** करोड़								

1. उपाध्यक्ष महोदय के उपरोक्त दरों पर कुल धनराशि रू0 284.41 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 27.12.16 प्रदान की गयी है। तद्नुसार उक्त कार्य हेतु समस्त आर्कीटेक्चर ड्राइंग की समक्ष स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करते हुए मृदा परीक्षण, भवन ब्लाक्स सर्विस की ड्राइंग्स व स्ट्रक्चरल डिजाइन (आई0आई0टी0 से ड्राइंग डिजाइन परीक्षण कराने के उपरान्त) समस्त ड्राइंग प्रस्तुत करनी होगी। विद्युत विभाग, अग्नि शमन विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र का दायित्व भी आपके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित है।
2. बहुमंजिले भवनों हेतु यथा पर्यावरण प्रदूषण, अग्नि शमन विभाग, विद्युत विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों से अपने व्यय पर समस्त अनापत्ति प्राप्त करते हुए प्रस्तुत किये जायेगें।
3. परियोजना परिसर के अन्तर्गत समस्त विकास कार्य, भूमि का समतलीकरण, आन्तरिक सड़कें एवं पाथवेज, सीवर एवं पानी की लाइने, ड्रेनेज, बाउण्ड्रीवाल, गेट्स,

For NCC Limited
G. VASUDEVA RAO
General Manager (Contracts)

(मानवेन्द्र सिंह)
सहायक अभियन्ता

आण्डरग्राउण्ड वाटर टैंक, लैण्ड स्केप, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सहित तथा 63 के0वी0ए0 क्षमता के 6 नग डी0जी0, सेट आदि के कार्य भी आपके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है।

4. भवनों की स्ट्रक्चरल डिजाइन भूकम्परोधी होगी तथा भवनों में फायर फाइटिंग (Sprinkler System+wet Riser+Fire Alarm) तथा एन्टीटर्माइट ट्रीटमेन्ट का कार्य किया जाना होगा। भवनों के अन्तर्गत आन्तरिक वाटर सप्लाई एवं सेनेटरी इन्स्टरकॉम कन्ड्यूटिंग, केबिल व टी0वी0 कन्ड्यूटिंग, ए0सी0 वायरिंग तथा लाइटनिंग कन्डक्टर के कार्य भी सम्मिलित है। प्रत्येक ब्लाक में ए0आर0डी0 सुविधायुक्त 13 व्यक्तियों की क्षमता 1.50 मीटर प्रति सेकेण्ड वाली एक पैसेजर लिफ्ट तथा 1.50 टन क्षमता की गुडस लिफ्ट्स एवं बूस्टिंग पम्प का प्राविधान है। अग्नि शमन रोधी व्यवस्था एन0बी0सी के प्राविधानों के अनुसार की जानी होगी।
5. स्टिल्ट की डिजाइन भी भूकम्परोधी होगी तथा इसके निर्माण कार्य में वाटर प्रूफिंग फायर फाइटिंग (Sprinkler System+wet Riser+Fire Alarm) आन्तरिक विद्युतीकरण तथा ड्रेनेज आदि के कार्य सम्मिलित है।
6. समस्त कार्य उपलब्ध करायी गयी ड्राइंग्स, निविदा प्रपत्र में संलग्न विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जायेगें।
7. आपकी स्वीकृति निविदा के अनुसार कुल प्रतिभूति धनराशि रू0 1422.00 लाख मात्र की बैंक गारन्टी/एफ0डी0आर कार्यालय में तत्काल जमा कराकर अनुबन्ध कराना होगा। बैंक गारन्टी 36 माह के लिए वैध होनी चाहिए।
8. कार्य की प्रारम्भ तिथि 28.12.16 तथा कार्य समाप्ति तिथि 27.12.19 मानी जायेगी। अनुबन्ध की कार्यवाही हेतु प्रतिभूमि की धनराशि रू0 110.00 का जनरल स्टैम्प पेपर एवं स्टैम्प देयता के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करा लें। बैंक खाता संख्या, बैक का नाम व शाखा, बैक की आई0एफ0एस0सी0 कोड, पैन नम्बर व मोबाइल नम्बर से अवगत कराने का कष्ट करें।
9. अनुबन्धित की जा रही मात्राओं, मानकों का कार्य स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत पूर्ण करना होगा। इस हेतु अलग से किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी के विचलन की स्वीकृति अनुमन्य नहीं होगी।
10. उपरोक्त स्वीकृत दरों में समस्त टैक्स (सर्विस टैक्स, सेस व ESIC) तथा परियोजना अवधि तीन वर्ष हेतु एस्कलेशन सम्मिलित हैं।

भवदीय

/

(आर0डी0राय)
अधिशाषी अभियन्ता

प्रतिलिपिः—

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
2. सचिव महोदया को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता को सूचनार्थ।
4. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ।
5. उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद, 9 म्यो रोड इलाहाबाद को सूचनार्थ।
6. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशाषी अभियन्ता

For NCC Limited

G. VASUDEVA RAO
General Manager (Contracts)

(मानवेन्द्र सिंह)
सहायक अभियन्ता